न्यायालयः– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, किशनगंज। **उपस्थितः– सुरेश कुमार सिंह – II** **निर्णय की तिथिः– 02.06.2026** **सत्र वाद संख्या– 102/2025** **C.I.S No.- 102/2025** **प्रथम ईतला रिर्पोट संख्या– 109/2024 थाना– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज।**
सूचिका – Xyz, पिता– Abc, साकिन– भेरभेरी, थाना– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज। .....अभियोजन। द्वारा प्रस्तुति– श्री सोरेन प्रसाद साह (विद्वान अपर लोक अभियोजक)

अभियुक्तगणः–	1. मो0 अताबुल उर्फ अताबुल अली, 2. मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, 3. मो0 हबीबुल, 4. जरीना खातुन एवं 5. मस्तरा खातुन।
द्वारा प्रस्तुति–	विद्वान अधिवक्ताः– श्री अमल कुमार सिन्हा।

अपराध की तारीखः–	18.07.2024
प्रथम ईतला रिर्पोट की तिथिः–	25.07.2024
आरोप पत्र समर्पित की तिथिः–	27.10.2024
आरोप गठन की तिथिः–	15.05.2025
धारा–313 द0प्र0स0 बयान की तिथिः–	26.05.2026
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथिः–	26.05.2026
निर्णय की तिथिः–	02.06.2026
दण्डादेश की तिथिः–	

Accused Details:-

Rank of the Accused	A-1
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	1. मो0 अताबुल उर्फ मो0 अताबुल अली, पिता– मो0 अब्दुल कलाम, साकिन– भेरभेरी, साकिन– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	15.10.2024
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	N/A
चार्जः–	U/S- 64(1), 3(5), 69 of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-2

अभियुक्त का नाम एवं पताः–	2. मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, पिता– स्व0 मफुजुद्दीन, साकिन– भेरभेरी, थाना– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	17.04.2025
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	17.04.2025
चार्जः–	U/S- 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-3
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	3. मो0 हबीबुल, पिता– अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम, साकिन– भेरभेरी, साकिन– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	17.04.2025
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	17.04.2025
चार्जः–	U/S- 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-4
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	4. जरीना खातुन, पति– मो0 हबीबुल, साकिन– भेरभेरी, साकिन– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	17.04.2025
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	17.04.2025
चार्जः–	U/S- 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

Rank of the Accused	A-5
अभियुक्त का नाम एवं पताः–	5. मस्तरा खातुन, पति– मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, साकिन– भेरभेरी, साकिन– ठाकुरगंज, जिला– किशनगंज।
आत्मसमर्पण/गिरफ्तारी की तिथिः–	17.04.2025
जमानत पर मुक्त करने की तिथिः–	17.04.2025
चार्जः–	U/S- 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) of BNS.
दोषमुक्त या दोषसिद्धः–	दोषमुक्त
अधिरोपित दण्डादेशः–	
Period of Detention Undergone during Trial for puroose of section 428 Cr.P.C विचारण के दौरान की अवधि	

APPENDIX OF EVIDENCE INDEX. (साक्ष्य का अनुलग्नक)

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा साक्षी/न्यायालय साक्षी की सूचीः–

(क) अभियोजन साक्षीः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
P.W- 1	मो0 सफीक आलम	अन्य साक्षी
P.W- 2	मो0 कलाम	अन्य साक्षी
P.W- 3	XYZ (Victim)	सूचिका साक्षी
P.W- 4	Dr. Jawed Alam	चिकित्सक साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय साक्षी यदि कोई होः–

Rank	**Name**	**<u>साक्ष्य की प्रकृतिः–</u> चक्षु साक्षी/पुलिस साक्षी/विशेषज्ञ साक्षी/चिकित्सक साक्षी/अन्य साक्षी।**
N.A	N.A	N.A

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूचीः–</u>

(क) अभियोजन प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
01	प्रदर्श– P-1/PW-3	प्राथमिकी आवेदन पर साक्षी का हस्ताक्षर।
02	प्रदर्श– P-2/PW-4	मेडिकल रिपोर्ट।

(ख) प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(ग) न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

(घ) वस्तु प्रदर्श की सूचीः–

क0 सं0	प्रदर्श संख्याः	विवरण
N.A	N.A	N.A

निर्णय

1. उपरोक्त काराधीन अभियुक्त मो0 अताबुल उर्फ मो0 अताबुल अली के विरूद्ध धारा 64(1), 3(5), 69 बी.एन.एस. एवं अन्य अभियुक्तगण मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, 3. मो0 हबीबुल, 4. जरीना खातुन एवं 5. मस्तरा खातुन के विरूद्ध धारा 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप गठित किया गया है जिसे अभियुक्तगण ने इन्कार किये तथा विचारण की मांग किए।

2. सूचिका द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का संक्षिप्त मामला यह है कि दिनांक 18.07.2024 को सूचिका अपने चाचा के घर शादी समारोह मे गई हुई थी। शादी समाप्ति के बाद समय लगभग रात्रि 9.00 बजे अपने घर के लिए चली तो रास्ते मे मो0 अताबुल अली रास्ते मे मिला और इन्हे रोका और पकड़कर घर से कुछ दूर बॉसझाड़ के निकट केला के खेत मे ले जाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया। इसी बीच कुछ ग्रामीण घटना स्थल पर दोनो को पकड़ लिए तथा दोनो के घर जाने का कहा तब वहां पर कुछ लोग आ गये और मारपीट करने लगे जिससे कुछ लोग घायल हो गया। जिनका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे हुआ। उसके पश्चात् सूचिका द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 109/2024 दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोंपरात प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मो0 अताबुल उर्फ मो0 अताबुल अली के विरूद्ध धारा 64(1), 3(5), 69 बी.एन.एस. एवं अन्य अभियुक्तगण मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, 3. मो0 हबीबुल, 4. जरीना खातुन एवं 5. मस्तरा खातुन के विरूद्ध धारा 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 187/2024 दिनांक 27.10.2024 को विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रभारी, किशनगंज के न्यायालय में समर्पित किया गया। समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया।

4. दौरा सुपुर्दगी पश्चात् सत्र न्यायालय में सत्र वाद दर्ज हुआ तथा वाद को विचारण हेतु इस न्यायालय मे स्थानान्तरीत किया गया। दिनांक 15.05.2025 को इस न्यायालय द्वारा काराधीन अभियुक्त मो0 अताबुल उर्फ मो0 अताबुल अली के विरूद्ध धारा 64(1), 3(5), 69 बी.एन.एस. एवं अन्य अभियुक्तगण मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, 3. मो0 हबीबुल, 4. जरीना खातुन एवं 5. मस्तरा खातुन के विरूद्ध धारा 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) बी.एन.एस. में आरोप का गठन कर गठित आरोप को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे वे इंकार किये एवं विचारण की मांग किये।

5. अभियोजन ने अपने केस के समर्थन में 04 साक्षियों को प्रस्तुत किया है। अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 सफीक आलम, अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 कलाम, अभियोजन साक्षी संख्या 03 Xyz (पीड़िता) एवं अभियोजन साक्षी संख्या 04 डा0 जावेद आलम (चिकित्सक) हैं।

6. अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों में प्राथमिकी आवेदन पर साक्षी के हस्ताक्षर को प्रदर्श– P-1/PW-3 एवं मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श– P-2/PW-4 अंकित किया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य बंद कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2026 को अभियुक्तों का बयान द0प्र0स0 की धारा–313 के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाए गए अभियोगों से इन्कार किये तथा अपने को निर्दोष बताये।

8. बचाव पक्ष के तरफ से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. अब विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित आरोप को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल रहे हैं ?

<u>मन्तव्य</u>

10. इस मामले में अभियोजन ने कुल 04 साक्षियों का साक्ष्य कराया है। सर्वप्रथम मामले की सूचक के साक्ष्य का विवेचना करना उचित प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी संख्या 03 Xyz (सूचिका सह पीड़िता) हैं इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना दिनांक 18.07.2024 की है, उस दिन पीड़िता हजरत के शादी में उसके घर जा रही थी तो रात्रि 9.00 बजे शादी के घर से वापस अपने घर आ रही थी तो रास्ते मे अताबुल मिला जिसे देखकर ड़र गई और हल्ला की तो वहां पर बहुत लोग जुट गये। इनका बात कोई नहीं सुना तो केस हो गया। प्रतिपरीक्षण के क्रम मे इन्होंने कहा है कि आज जो बात बतायी हूँ वही बात सच्च है। इस साक्षी के साक्ष्य मे काफी विरोघाभाष है जो अभियोजन केस का समर्थन नहीं करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 04 डा0 जावेद आलम (चिकित्सक) है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि On 27-07-2024. I was posted at P.H.C, Thakurganj as a Medical Officer. On that day I examined Irfan Ali, age 18 years, Gender- Male, S/O- Md. Rahimuddin, Village- Ververi, PS- Thakurganj, Distt- Kishanganj. Dated 18-07-2024 at 6:30 P.M. Found the following injuries-

I. Teech bite mark over the back side.

II. C/O pain in abdomen.

III. C/O pain in left hand.

IV. C/O pain in all over body.

M/I- A Mole over left temporal region.

T/A- Within 12 hours.

N/I- Simple in nature caused by hard and blunt substance.

Note if any- X-ray from ATRIUM diagnostics by Dr. Sagar HS Normal CT scan of Brain seen and X-ray chest Normal Study seen. They injury report was prepared by our and bears our signature. Injury Report is Marked as Exhibit- P-2/PW-4. प्रतिपरीक्षण के क्रम मे इन्होंने कहा है कि किसी जख्म का इन्होंने रंग मेन्सन नहीं किया है। जिस जख्मी का इन्होंने परीक्षण किया था उसने इन्हें आधार कार्ड या पहचान पत्र नहीं दिखाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने कंडिका नं0– 04 मे कहा है कि इस तरह का जख्म कहीं टकरा जाने से हो सकता है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य मे कोई ऐसा तथ्य नहीं आया है जो अभियोजन केस का समर्थन करता है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 कलाम है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि गांव मे हल्ला की आवाज सुनकर केला के खेत के तरफ गये तो देखे कि पीड़िता एवं अताबुल को लेकर गांव के लोग आ रहे थे। पुछने पर पीड़िता ने बतायी कि दो साल से अताबुल से प्रेम सम्बन्ध था तथा उससे शादी करने को कह रही थी तो शादी करने से इन्कार कर दिया तब गांव के लोग उसे मारने लगे तो उसे छुड़ाकर ले गये। प्रतिपरीक्षण के क्रम मे इन्होने कहा है कि इस केस पहली बार गवाही दिये है। सुनी हुई बातों पर गवाही दिये है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 सफीक आलम है इन्होंने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण मे कहा है कि घटना जुलाई 2024 की है उस दिन इनके बड़े पापा के घर मे शादी था। ये एवं मुबारक अली शौच के लिए बाहर गये थे। जैसे ही ये शौच करने हेतु बैठे तो केला के बगान के तरफ से आवाज आ रहा था तो लाईट मारे तो देखे कि अताबुल और पीड़िता के बीच गलत सम्बन्ध हो रहा था। तब ये लोग हल्ला किये तो ग्रामीण आये तथा दोनो को पकड़ कर सड़क पर ले आये। पीड़िता से पुछताछ करने पर बतायी कि उसे जबरदस्ती अताबुल उठाकर ले आया और उसके साथ बालात्कार किया। प्रतिपरीक्षण मे इन्होंने कहा है कि पीड़िता इनकी चचेरी बहन लगती है। जिसकी उम्र 25–26 वर्ष है। कंडिका 05 मे साक्षी ने कहा है कि पहले अताबुल के परिवार वाले ने केस किया था। उसी केस के खिलाफ यह केस किया गया है। इस प्रकार इनका साक्ष्य अकाट्य एवं स्थिर नहीं है।

14. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में सूचिका एवं अन्य साक्षियों ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

15. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोजन साक्षी संख्या 01 मो0 सफीक आलम है इन्होंने साक्ष्य के दौरान पारा नं0– 05 मे कहा है कि पहले अताबुल के परिवार वाले ने केस किया था उसी केस के खिलाफ यह केस किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 02 मो0 कलाम है इन्होंने साक्ष्य के दौरान पारा नं0 – 04 मे कहा है कि सुनी हुई बातो पर गवाही दिये है। अभियोजन साक्षी संख्या 03 xyz (सूचिका सह पीड़िता) है इन्होने साक्ष्य के दौरान कहा है कि शादी से अपने घर आ रही थी तब रास्ते मे अताबुल मिल गया तो ड़र गयी और हल्ला की तब वहां पर बहुत लोग जुट गये। जब इनका बात कोई नहीं सुना तो केस हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 04 डा0 जावेद आलम (चिकित्सक) है इन्होंने साक्ष्य के दौरान कहा है कि किसी जख्म का इन्होने रंग मेन्सन नहीं किया था। आगे इन्होने पारा 04 मे कहा है कि इस तरह का जख्म कहीं टकरा जाने से हो सकता है। जिस मामले मे सूचिका एवं अन्य साक्षियों ने अभियोजन केस का समर्थन नहीं किया है तब इस केस मे अन्य साक्ष्य का महत्व नहीं रह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य द्वारा साबित नहीं कर सका है।

16. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन काराधीन अभियुक्त मो0 अताबुल उर्फ मो0 अताबुल अली के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 64(1), 3(5), 69 बी.एन.एस. एवं अन्य अभियुक्तगण मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, मो0 हबीबुल, जरीना खातुन एवं मस्तरा खातुन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) बी.एन.एस. को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतः

आदेश

काराधीन अभियुक्त मो0 अताबुल उर्फ मो0 अताबुल अली के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 64(1), 3(5), 69 बी.एन.एस. एवं अन्य अभियुक्तगण मो0 अबुल कलाम उर्फ मो0 कलाम अली, मो0 हबीबुल, जरीना खातुन एवं मस्तरा खातुन के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 126(2)/3(5), 115/3(5), 118(1)/3(5), 74/3(5), 351(2)/3(5), 351(3)/3(5) बी.एन.एस. से साक्ष्य के अभाव मे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त मो0 अताबुल उर्फ मो0 अताबुल अली कारा अभिरक्षा मे निरूद्ध है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उसके मुक्ति हेतु मुक्ति आदेश निर्गत करें। अन्य अभियुक्तगण तथा उनके प्रतिभूओं को उनके बन्ध पत्र के दायित्वों से उन्नमोचित किया जाता है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवंअपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 02.06.2026

ह0/–

(सुरेश कुमार सिंह– II)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
–सह– विशेष न्यायाधीश, किशनगंज
दिनांकः– 02.06.2026

Date of Judgment/Order	02-06-2026
Date of reserving judgment/order	26-05-2026
Uploading Date	03-06-2026
Uploaded by	Deposition Writer